

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2014—आश्विन 8, शक 1936

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति, [समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1)] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितम्बर 2014 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित गृह विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—एक

(1) गृह विभाग

अनुसूची—दो

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम (1) गृह विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वी-कृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
--------	------------------	--------------------------	-----	---	------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी.	943	943	57	29	28	—	57	सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना दिनांक 2-12-2011 द्वारा गृह विभाग के द्वितीय श्रेणी के पदों का चिन्हांकन किया गया है. जिसमें

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के स्वीकृत 57 पदों में से अस्थि बाधित के 19, दृष्टि बाधित के 19 एवं श्रवण बाधित के 19 पद त्रुटिवश निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित किये गये हैं. अर्थात् अब अस्थि बाधित के 29 एवं दृष्टि बाधित के 28 पद आरक्षित करने हेतु विचार किया गया. अतः कार्य की प्रकृति को देखते हुए श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदान की जाती है.
योग	योग	943	943	57	29	28	-	57	-
तृतीय श्रेणी.	सहायक ग्रेड-3 स्टेनोग्राफर	158	158	05	02	01	02	05	-
	स्टेनोग्राफिस्ट	03	03						
	एपीसीडी	02	02						
	वाहन चालक	29	29						
		01	01						
योग	-	193	193	05	02	01	02	05	
चतुर्थ श्रेणी.	दफतरी	01	01						
	भृत्य	11	11						
	चौकीदार	01	01						
	स्वीपर	01	01						
योग	-	14	14						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. निरंजन, प्रमुख सचिव.